# समाहरणालय, कटिहार।

## (जिला पंचायत राज कार्यालय)

## –:: नियोजन पत्र ::–

### तकनीकी सहायक

प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–4046/पं०रा० दिनांक 25.07.2018, पत्रांक 16(गो०)/पं०रा० दिनांक 30.03.2020 एवं 2144/पं०रा० दिनांक 31.03.2021 के आलोक में मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण एवं पेयजल निश्चय योजना के क्रियान्वयन हेतु संविदा आधारित तकनीकी सहायक के पद पर नियोजन हेतु दिनांक 06.04.2021 को सम्पन्न जिला स्तरीय चयन समिति, कटिहार की बैठक में सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय के आलोक में रिक्त पदों के विरूद्ध द्वितीय चयन सूची का प्रकाशन इस कार्यालय के **पत्रांक 471/पं०, दिनांक 06.04.2021** द्वारा कटिहार जिला के वेबसाईट पर किया जा चुका है।

प्रथम चयन सूची में चयनित अभ्यर्थियों में से कुछ अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र का सत्यापन प्राप्त नही होने के कारण उन्हें नियोजन पत्र नहीं दिया गया था। उक्त अभ्यर्थियों में से पटना क्रमांक 19–रूपेश कुमार एवं पटना क्रमांक 30–बिकेश कुमार का प्रमाण पत्र का सत्यापन प्राप्त हो गया है।

तदालोक में निम्नांकित चयनित तकनीकी सहायक को दिनांक 31.03.2022 तक के लिए संविदा के आधार पर सशर्त नियोजन किया जाता है।

| Sl. No. | Patna No. | Total Points | Application ID | Applicant Name | Father's Name | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 19 | 84 | TAT/0085366 | RUPESH KUMAR | SUMESH PRASAD SAHU | प्रथम सूची में चयनित है। प्रमाण पत्र सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है। |
| 2 | 30 | 81.91 | TAT/0085838 | BIKESH KUMAR | ADHIKLAL THAKUR | प्रथम सूची में चयनित है। प्रमाण पत्र सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है। |
| 3 | 25 | 82.80 | TAT/0082207 | PRASUN DEV | SIBSANKAR DEY | रिक्त पद के विरूद्ध। |
| 4 | 26 | 82.50 | TAT/0079979 | ZABED AKHTAR | JASHIMUDDIN | रिक्त पद के विरूद्ध। |

## –: शर्तें :–

1. नियोजित तकनीकी सहायकों को सभी शैक्षणिक, आवासीय एवं जाति (आरक्षित वर्ग) का मूल प्रमाण पत्र एवं उसकी स्व–अभिप्रमाणित छाया प्रति, असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, कटिहार द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र एवं 100/– (एक सौ रूपये मात्र) के नन जुडिसियल स्टाम्प पर एकरारनामा के साथ दिनांक 17/04/2021 तक जिला पंचायत राज कार्यालय, कटिहार में अपना योगदान समर्पित करना होगा। उक्त तिथि के पश्चात् योगदान स्वीकार नहीं किया जायगा।
2. चयनित तकनीकी सहायकों के नियोजन के पश्चात् उनके द्वारा समर्पित प्रमाण पत्रों की पुनः जांच करायी जायगी कि संबंधित संस्थान AICTE/UGC से मान्यता/अनुमोदित है या नहीं। जाँचोंपरान्त मानदेय का भुगतान किया जायेगा।
3. यह नियोजन दिनांक 31 मार्च 2022 तक मान्य होगा।
4. संविदा शर्त्तों के अनुसार अभ्यर्थियों द्वारा जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कटिहार के साथ एकरारनामा किया जायेगा।

5. प्रखंड विकास पदाधिकारी के प्रतिवेदन पर नियोजित तकनीकी सहायक को हटाने का अधिकार जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कटिहार को होगा।
6. जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कटिहार के आदेश के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, कटिहार से अपील की जा सकेगी। जिला पदाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
7. पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार, पटना के संकल्प संख्या 4046/पं०रा० दिनांक 25.07.2018 द्वारा निर्धारित मानदेय रू० 27,000/- (मो० सताईस हजार रूपये मात्र) प्रतिमाह अनुमान्य होगा, जिसमें समय-समय पर वित्त विभाग की सहमति से वृद्धि की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त कोई भी राषि देय नही होगी।
8. नियोजित तकनीकी सहायक को निर्धारित मासिक मानदेय का भुगतान पदस्थापित कार्यालय से प्राप्त अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कटिहार द्वारा किया जायेगा।
9. मानदेय के आधार पर चयनित होने के कारण नियोजित तकनीकी सहायक न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न ही सरकारी सेवकों के अनुमान्य सुविधा के हकदार होगे।
10. मानदेय के आधार पर चयनित होने के कारण इन्हें सरकारी सेवा में नियमितीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
11. आवंटित पंचायतों में से किसी एक पंचायत में आवासन अनिवार्य होगा।
12. मानदेय आधारित चयनित कर्मियों के चयन की अवधि समाप्ति के पूर्व यदि अवधि विस्तार नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उनका नियोजन स्वतः समाप्त माना जायगा और इसके लिए कोई आदेष निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।
13. योगदान हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नही होगा।

**<u>तकनीकी सहायक के निम्नांकित दायित्व होंगे-</u>**

(I) तकनीकी प्रबंधन सुनिश्चित करना।
(II) वार्ड प्रबंधन एवं कार्यान्वयन समिति द्वारा क्रियान्वित होने वाले कार्यो का प्राक्कलन बनाना।
(III) तकनीकी अनुश्रवण, मापी-पुस्तिका का संधारण, कार्यो का निरीक्षण, ऑन लाईन रिपोर्टिंग, प्राक्कलन की विषिष्टियों के अनुरूप कार्य की गुणवत्ता की जाँच सुनिश्चित करना।
(IV) जिला पंचायत राज पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी/प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा समय-समय पर आवंटित अन्य कार्यो को करना।
(V) समय-समय पर पंचायती राज विभाग द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अक्षरषः अनुपालन करना।

**इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।**

ह०/-
**जिला पदाधिकारी,**
**कटिहार।**

ज्ञापांक (3-9/21) 482/पं०, कटिहार, दिनांक 07/04/2021 ई०।

प्रतिलिपिः- सभी संबंधित अभ्यर्थियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एवं सचिव, कटिहार जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी ग्राम पंचायत के मुखिया/सभी ग्राम पंचायत सचिव, कटिहार जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, कटिहार जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, कटिहार जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी अनुमंडल पदाधिकारी, कटिहार जिला को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी कटिहार को सूचनार्थ एवं कटिहार जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला स्तरीय चयन समिति के सभी सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– उप विकास आयुक्त, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

7/4

जिला पदाधिकारी,
कटिहार।

समक्ष,

लेख्य प्रमाणक (नोटरी)
कटिहार।

विषय:– एकरारनामा।

एतद् द्वारा प्रथम पक्ष के समक्ष द्वितीय पक्ष के रूप मे मैं श्री/श्रीमति/सुश्री ______________________ पिता ______________________ ग्राम ______________________ पो0 ____________ थाना ______________ जिला ______________ आज दिनांक ____________ के पूर्वाह्न/अपराह्न मे जिला पंचायत राज कार्यालय, कटिहार मे संविदा आधारित तकनीकी सहायक के पद पर योगदान करते समय निम्नांकित बिन्दुओं पर शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि–

1. मेरे द्वारा समर्पित सभी प्रमाण पत्र सही है तथा भविष्य मे यदि जाँचोपरान्त कोई प्रमाण पत्र फर्जी या गलत पाया जाता है तो मेरा नियोजन रद्द करते हुए मेरे विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी जा सकेगी।
2. पंचायती राज विभाग के संकल्प संख्या 4046/पं०रा०, पटना, बिहार दिनांक 25.07.2018 एवं पत्रांक 2144/पं०रा० दिनांक 31.03.2021 के आलोक मे मेरा नियोजन अस्थाई रूप से योगदान की तिथि से 31 मार्च, 2022 तक के लिए होगी एवं आवश्यकता होने पर अवधि का विस्तार किया जा सकेगा। 31 मार्च, 2022 की अवधि समाप्त होने के पूर्व यदि अवधि विस्तार नही किया जाता है तो यह नियोजन 31 मार्च, 2022 के बाद की तिथि से स्वतः समाप्त हो जायेगी, जिसके लिए अलग से आदेश निर्गत करने की आवश्यकता नही होगी।
3. पंचायती राज विभाग के संकल्प संख्या 4046/पं०रा० पटना, दिनांक 25.07.2018 के आलोक में मो० 27,000.00 (मो० सत्ताईस हजार रूपये मात्र) प्रतिमाह नियत मानदेय का भुगतान संबंधित कार्यालय द्वारा किया जायेगा। इसके अतिरिक्त मुझे कोई भी राशि देय नहीं होगा।
4. मानदेय के आधार पर नियोजित तकनीकी सहायक सरकारी सेवक नहीं है। अतः मैं सरकारी सेवक हेतु अनुमान्य किसी भी सुविधा, नियमितिकरण या अन्य दावा नहीं करूँगा/करूँगी।
5. मैं जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कटिहार एवं संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी/प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा सौंपे गये कार्यों एवं निदेशों का ससमय दृढता पूर्वक निष्पादन करूँगा/करूँगी।
6. नियोजन के पश्चात् एकरारनामा की सभी शर्तें एवं नियोजन पत्र मे अंकित शर्तें अनुमान्य होगी।
7. मैं समय–समय पर विभाग द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करूँगा/करूँगी।
8. अपने विवाह के अवसर पर दहेज का लेन–देन नहीं किया हूँ/नही की हूँ/नही करूँगा/नही करूँगी।

शपथकर्त्ता का हस्ताक्षर

Agreement

## सत्यापन

मैं, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (रोल आई०डी० क्रमांक . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
ग्राम–. . . . . . . . . . . . . . . . . . थाना . . . . . . . . . . . . . . . . . जिला. . . . . . . . . . .
दिनांक . . . . . . . . . . . . एकरार करता हूँ कि उपरोक्त वर्णित शर्तो को पढ़ कर समझ लिया तथा अपनी सहमति देता हूँ।

पहचानकर्त्ता का हस्ताक्षर

शपथकर्त्ता का हस्ताक्षर

अधिवक्ता, कटिहार।

जिला पदाधिकारी
कटिहार

2